



>kj [k.M l j dkj
; kst uk , oa fo dkl foHkkx
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय



f}rh; ry] >kj [k.M e=ky;] usi ky gkAl i fj l j] Mkj .Mk] j kph&834002
email-dsejharkhand@gmail.com/Website-www.jharkhand.gov.in/planning/des

Qthz tUe iæk.k&i = , oa eR; q iæk.k&i = l s cpko

vke tu l s vihy%

1. जन्म प्रमाण-पत्र एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु भारत सरकार के आधिकारिक CRS Portal-crsorgi.gov.in है।
2. जन्म/मृत्यु की घटना होने पर 21 दिनों के अन्दर आधिकारिक CRS Portal-crsorgi.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करें।
3. ऑनलाईन आवेदन नहीं देने की स्थिति में जन्म-मृत्यु के निबंधन का स्थानीय कार्यालय में उपस्थित होकर निबंधक (जन्म-मृत्यु) को सूचना आवेदन दे।
4. जन्म प्रमाण-पत्र एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु किसी भी Agent की मदद ना लें।
5. जन्म प्रमाण-पत्र एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त होते ही QR Code के माध्यम से भारत सरकार के आधिकारिक CRS Portal-crsorgi.gov.in से बनाये जाने की जांच अवश्य कर ले।
6. आधिकारिक CRS Portal-crsorgi.gov.in के अतिरिक्त किसी भी अन्य Portal (अवैद्य) से बनाये गये जन्म प्रमाण-पत्र एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र पूर्णतः अवैद्य हैं।
7. जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं के निबंधन की सूचना देने हेतु आँगनबाड़ी सेविका, साहिया, सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं चौकीदार सूचक घोषित है।

vkf/kdkfj d CRS Portal-crsorgi.gov.in gA

QR Code l s tUe iæk.k&i =@eR; q iæk.k&i = dh tkp vo'; djA

आदेशानुसार

ह0 / -

¼ân; døkj ½

उप निदेशक-सह-उप मुख्य रजिस्ट्रार
(जन्म-मृत्यु), झारखण्ड, राँची।

vkf/kdkfj d CRS Portal-crsorgi.gov.in gA
QR Code l s tUe iæk.k&i =@eR; q iæk.k&i = dh tkp vo'; djA

vkf/kdkfj d CRS Portal-crsorgi.gov.in gA
QR Code l s tUe iæk.k&i =@eR; q iæk.k&i = dh tkp vo'; djA